न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –05/2022

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र गौरीशंकर जाति स्वामी निवासी भादरा तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र महावीरप्रसाद जाति स्वामी निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। **असल अप्रार्थीगण**
3. कैलाश देवी पत्नी गौरीशंकर जाति स्वामी निवासी भादरा।
4. रूपादेवी पुत्री गौरीशंकर जाति स्वामी निवासी भादरा। **तरतीबी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी **प्रार्थी**
श्री कपूरचन्द शर्मा **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक : 23/5/२२

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं0 14/51 के मु0न0 6 के किला न0 11, 12, 19/1, 20/1 मु0न0 10 के किला न0 1/1, 1/2, 10 की कुल 1.506है0 नहरी खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 3 व 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी ने चक 8 बीएचडी के मु0न0 6 के किला न0 19 में सिचाई के लिए टयूबैल लगा रखा है जिसमें प्रार्थी ने पाईप लाईन लगाकर मु0न0 6 के किला नम्बर 21 में से होते हुए पिछले पॉच वर्ष से अधिक समय से अपनी चक 8 बीएचडी के मु0न0 10 के किला न0 1 तक ले जाता है एवं किला न0 1 व 10 में सिचाई करता हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 की भूमि पहले संयुक्त खातेदारी हुआ करती थी जिसका बाद में खाता विभाजन हो गया। चक 8 बीएचडी के मु0न0 6 के किला न0 21 की भूमि अप्रार्थी सं0 1 के हिस्सा में आ गई जिससे प्रार्थी की पाईप लाईन गुजरती है जिसे अप्रार्थी सं0 1 द्वारा क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाकर प्रार्थी की सिचांई सुविधा में व्यवधान डालकर प्रार्थी को निहंग तंग परेशान किया जा रहा हैं। जबकि प्रार्थी की पाईप लाईन उक्त कृषि भूमि के अन्दर लगभग 4 फुट निचे से गुजरती है। अतः प्रार्थी के खेत में चल रही सिंचाई सुविधा को लगातार बनाये रखने के लिए अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा लेने का प्रार्थी कानूनी अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 3 व 4 को वकील प्रार्थी द्वारा तर्क किया गया व अप्रार्थी सं0 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मु0न0 6 के किला न0 19 में प्रार्थी द्वारा प्लॉटींग कर रखी है तथा उक्त कुआं से प्रार्थी रामसिंह झाझड़िया के खेत को पानी देता है व पानी बेचने का काम करता है जिससे अप्रार्थी के खेत में लगा कुआं का पानी खराब होने के कारण सिंचाई योग्य नहीं रहेगा। उक्त विवादित भूमि संयुक्त खाता की थी उस समय कोई भी पाईप लाईन नहीं डाली गई थी जबकि आज से 8 वर्ष पूर्व ही वाद भूमि का विभाजन हो चुका था। प्रार्थी का आवेदन पत्र 151 सीपीसी ना चलने योग्य होने के कारण काबिले खारिज है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की पाईप लाईन पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से मु0न0 6 के किला न0 21 से होते हुए चल रही है, पाईप लाईन डालते समय अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की आपति जाहिर नहीं की गई थी। यदि अब अप्रार्थी प्रार्थी की चालु पाईप लाईन को क्षतिग्रस्त करता है तो प्रार्थी की भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर हो जायेगी एवं प्रार्थी परिवार के आजीविका का साधन समाप्त हो जायेगा जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नूकसार होगा। अतः अप्रार्थी को पाबन्द किया जावें कि वह किसी भी प्रकार का व्यवधान प्रार्थी की चालू पाईप लाईन पर ना डाले। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि मु0न0 6 के किला न0 19 में प्रार्थी द्वारा प्लॉटींग कर रखी है तथा उक्त कुआं से प्रार्थी रामसिंह झाझड़िया के खेत को पानी देता है व पानी बेचने का काम करता है जिससे अप्रार्थी के खेत में लगा कुआं का पानी खराब होने के कारण सिंचाई योग्य नहीं रहेगा। उक्त विवादित भूमि संयुक्त खाता की थी उस समय कोई भी पाईप लाईन नहीं डाली गई थी जबकि आज से 8 वर्ष पूर्व ही वाद भूमि का विभाजन हो चुका था। प्रार्थी का आवेदन पत्र 151 सीपीसी ना चलने योग्य होने के कारण काबिले खारिज है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 8 बीएचडी के मु0न0 6 के किला न0 19 में टयूबैल लगाकर किला न0 21 से होते हुए मु0न0 10 के किला न0 1, 10 में सिचाई की जाती है। अप्रार्थी ने अपने किला न0 21 में से पाईप लाईन मौके पर चलने से इंकार नहीं किया है तथा प्रार्थी द्वारा वर्णित पाईप लाईन उक्त आराजी से लगभग 5 वर्ष पूर्व में डाली गई थी जो प्रार्थी के कहे अनुसार लगभग 4 फिट जमीन के अन्दर है जबकि अप्रार्थी के अनुसार आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व खाता विभाजन हो गया था लेकिन आज प्रार्थना पत्र पेश होने की दिनांक तक अप्रार्थी को

किसी भी प्रकार की परेशानी उक्त पाईप लाईन से नही थी। अप्रार्थी की तरफ से उक्त पाईप लाईन कम गहराई में दबा होना व अपने खेत की फसल को पाईप लाईन द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने का कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त चालू पाईप लाईन को यदि क्षतिग्रस्त किया जाता है तो अप्रार्थी की बजाय प्रार्थी को ज्यादा नुकसान होगा, तथा प्रार्थी को सिंचाई सुविधा से वंचित होना पड़ेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण इस आशय के साथ स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 को पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला प्रार्थना पत्र 251क तक चक 8 बीएचडी के मु0न0 6 के किला न0 21 में से होकर चल रही प्रार्थी की सिंचाई हेतु पाईप लाईन को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना करे व उक्त पाईप लाईन के रख–रखाव में दखल ना करे। प्रार्थी भी बिना किसी आशय के अप्रार्थी सं0 1 के खेत में खड़ी फसल आदि का नुकसान ना करे।

निर्णय आज दिनांक 23/5/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़